भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 800
29.07.2024 को उत्तर देने के लिए

सरकारी कार्यक्रमों और परियोजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन में एआई का उपयोग

800. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा आधिकारिक सांख्यिकी के संबंध में राष्ट्रीय एकीकृत सूचना पोर्टल/राष्ट्रीय डेटा वेयरहाउस आरंभ किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रभावशीलता की निगरानी के लिए मौजूदा तंत्र क्या हैं, तथा सरकार द्वारा प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति पर नज़र रखने और इसके बारे में रिपोर्ट करने की प्रक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन में सुधार के लिए एआई और उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार के पंचवर्षीय विजन दस्तावेज़, 2019-24 में सूचीबद्ध लक्ष्यों की प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क): जी हां, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 29 जून, 2024 को मंत्रालय के चार प्रमुख डेटा उत्पादों अर्थात् राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के समय श्रृंखला डेटा से युक्त ई-सांख्यकी पोर्टल लॉन्च किया है।

(ख) और (ग): सभी योजनाएं प्राप्त लक्ष्यों के संदर्भ में योजना के निष्पादन के आधार पर परिणाम समीक्षा के अधीन हैं। सभी मंत्रालयों/विभागों को प्रत्येक केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए निर्गत-परिणाम ढांचा तैयार करने का अधिदेश दिया गया है। यह ढांचा योजना के उद्देश्यों, या 'परिणामों' की प्राप्ति के लिए मापने योग्य संकेतक प्रदान करने का प्रयास करता है। नीति आयोग द्वारा इस संबंध में वार्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त , वित्त आयोग चक्र या नवीकरण के अलावा किसी भी योजना को जारी रखने के लिए, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के मामले में एक स्वतंत्र

एजेंसी द्वारा योजना का एक तृतीय-पक्ष मूल्यांकन और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मामले में डीएमईओ, नीति आयोग द्वारा जमीनी स्तर पर योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए भी किया जाता है।

150 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी भी इस मंत्रालय द्वारा परियोजना निगरानी के प्रमुख मेट्रिक्स पर की जाती है। वर्तमान में अनिवार्य निगरानी का कार्य सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के ऑनलाइन कम्प्यूटर मॉनीटरिंग सिस्टम (ओसीएमएस) पोर्टल पर परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों/मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई मासिक सूचना के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय उपर्युक्त के संबंध में www.cspm.gov.in पर प्रकाशन द्वारा सार्वजनिक डोमेन में प्रसारित आवधिक (मासिक/त्रैमासिक) रिपोर्टें भी जारी करता है।

इसके अतिरिक्त, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के तहत संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया को लागू करने के लिए ई-साक्षी पोर्टल/मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया गया है।

(घ) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के विजन 2019-2024 के विभिन्न लक्ष्यों के अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा अनुलग्नक -I में दिया गया है।

****

अनुलग्नक – I

दिनांक 29.07.2024 को राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 800 के भाग (घ) के उत्तर के संदर्भ में उल्लिखित विवरण।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के विजन 2019-2024 के विभिन्न लक्ष्यों के तहत की गई प्रगति का विवरण निम्न अनुसार है:

i. योजनाकर्ताओं, नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं और बड़े पैमाने पर जनता के लिए वास्तविक समय इनपुट प्रदान करने के लिए 29 जून, 2024 (सांख्यिकी दिवस) को ई-सांख्यकी पोर्टल लॉन्च किया गया था।

ii. भारत के डेटासेट और रजिस्ट्रियों का संग्रह 2023 प्रकाशित किया गया है, जो विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा रख-रखाव/संकलित किए जा रहे विभिन्न डेटासेट/संकेतकों/रजिस्ट्रियों के संबंध में मेटाडेटा विवरणों को सूचीबद्ध करता है।

iii. कम्प्युटर समर्थित निजी साक्षात्कार के माध्यम से राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के विभिन्न सर्वेक्षण किए जाते हैं।

iv. "सांख्यिकीय उत्पादों के लिए राष्ट्रीय मेटाडेटा संरचना" प्रकाशन जारी किया गया है।

v. उप-राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्य की निगरानी के लिए अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र संकेतक ढांचा विकसित किया गया है।

vi. सात क्षेत्रों अर्थात कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, ग्रामीण विकास, पर्यटन और सामाजिक न्याय (जनजातीय मामलों सहित) के लिए प्रशासनिक सांख्यिकी संबंधी निर्देशिका संकलित की गई है ।

vii. चार मंत्रालयों, अर्थात् श्रम और रोजगार, रेलवे, बिजली, और बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग के लिए वैधानिक रिटर्न पर निर्देशिका संकलित की गई है।

viii. 30 संकेतकों के लिए राष्ट्रीय तथ्य पत्रक मासिक आधार पर अद्यतन और जारी किया जाता है।

ix. राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी , सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) के सहयोग से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के संबंध में योग्यता आवश्यकता मूल्यांकन शुरू किया है और तदनुसार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (एसीबीपी) को अंतिम रूप दिया गया है।

x. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रचालन प्रभाग (एफओडी) की आंतरिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अवसंरचना उपलब्ध है और वर्तमान सुविधाओं का आवश्यकता आधारित नवीकरण और आधुनिकीकरण किया जाता है।

xi. समितियों के सदस्यों के लिए व्यावसायिक आचार संहिता तैयार की गई है ।

*****